□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
□□□□ि□□ प्रश्न □ख□□ : 382
19 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□प्रश्न □□ □त्त□

आयुष्मान भारत योजना

*382. श्री कोमती रेड्डी वकट रेड्डीः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार का आयुष्मान भारत योजना के अंतगत प्रदान किए जा रहे एक हजार से अधिक चिकित्सा पैकेजों को मूल्य को समीक्षा करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या चिकित्सा पैकेजों को वतमान कोमतों पर चचा करने हेतु कोई समिति गठित को गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध म और क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे ह?

□त□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्री□ (□□. □□ □□□□)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

f□□□□ 19 □□□□, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न □□382 □□ □त□□ □' □□ले□□□□□ □□□□□

(क) से (घ): आयुष्मान भारत म दो घटक शामिल ह नामतः (i) आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य र्परिचया (सीपीएसी) और (ii) आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)। एबी-एचडब्ल्यूसी के अंतगत सेवाएं सावभौमिक व सभी के लिए नि:शुल्क ह।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने के लिए योजना के अधीन पैनलबद्ध अस्पतालों म प्रयोग के लिए दरों के साथ 1393 लाभ पैकेज लागू र्किए गए ह। पैकेजों को दर सांकेतिक प्रकृति को ह और राज्यों को अपनी सुविधानुसार इनम 10 प्रतिशत बढ़ोतरी अथवा कमी करने को रियायत है। इसके अलावा, राज्य अपनी मौजूदा पैकेज दरों को कायम रख सकते ह, भले ही वे निर्धारित 10 प्रतिशत फ्लेक्सिबिलिटी स्लैब से अधिक हों । आकांक्षी जिलों व एनएबीएच मान्यता-प्राप्त अस्पतालों के मामलों म राज्यों के पास 10 प्रतिशत तक पैकेज दरों को बदलने को छूट भी होती है।

ये पैकेज दर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार को अध्यक्षता वाली समिति को सिफार्रिशों के आधार पर निश्चित को गयी थों और नीति आयोग द्वारा समीक्षा को गई थी। समिति को सिफार्रिश विभिन्न हितधारकों के साथ परामश के अनेक दौर पर आधार्रित थी, जिसम चिर्कित्सा व्यवसायी, नीति आयोग, एम्स अस्पतालों के संगठन, उद्योग निकाय आर्दि शामिल ह। विशिष्ट पैकेजों के लिए, भिन्न-भिन्न सुपर स्पेशिलिटी म उपसमूहों का गठन र्किया गया था। उपसमूहों म एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ थे।

र्दिनांक 23.09.2018 को एबी-पीएमजेएवाई को शुरूआत से ही, टर्मिनोलॉजी, डुप्लीकेशन जैसे लाभ पैकेजों के कुछेक पहलुओं व पैकेजों के दुहराव, भिन्न-भिन्न स्पेशिलिटी म समान क्रियाविधियों के लिए भिन्न-भिन्न दर आर्दि जैसी विसंगतियों पर फोडबैक प्राप्त र्किया गया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण संभव औचित्य के लिए इस फोडबैक को समीक्षा कर रहा है, यर्दि अपेक्षित हो।

वतमान म, एबी-पीएमजेएवाई के तहत प्रदान र्किए जाने वाले पैकेजों के मूल्यों को समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहों है।

पैकेज दरों को निर्धारित करते समय, अंर्तानहित सिद्धांतों म से एक यह था र्कि निजी अस्पतालों को पूण क्षमता का उपयोग नहों र्किया जा रहा था और पीएमजेएवाई को उन्ह अवसंरचना व जनशक्ति आर्दि म बिना र्किसी अर्तिरिक्त निवेश के एडिशनल वॉल्यूम प्रदान करना है। इसके अलावा, पैकेज दरों म लगातार बदलाव से दरों म अस्थिरता आ सकती है और पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनपेक्षित व अवांछनीय र्परिणाम हा सकते ह।

*****